



प्रेस नोट पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद दिनांक 30.10.2026

**सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा अवैध
अनैतिक व्यापार चलाने वाले 02 अभियुक्त गिरफ्तार**

दिनांक 29.10.2026 को सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर एवं थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम द्वारा चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर बिल्डिंग नम्बर 73 मैट्रो 2nd होटल नवयुग मार्केट से महिलाओं को बहला फुसलाकर अवैध अनैतिक व्यापार/देह व्यापार चलाने वाले 02 अभियुक्तगण 1. राहुल शर्मा पुत्र लोकेश कुमार शर्मा निवासी गांव लौहरका पण्डितों का गांव थाना औरंगाबाद जिला बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष 2. बॉबी पुत्र किशन सिंह निवासी धरारी पोस्ट बिचौला तहसील खुर्जा थाना धरपा बुलंदशहर को 02 मोबाइल, आपत्तिजनक वस्तुएं एवं 2700 रुपये नकद के साथ गिरफ्तार किया गया है आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. राहुल शर्मा पुत्र लोकेश कुमार शर्मा निवासी गांव लौहरका पण्डितों का गांव थाना औरंगाबाद जिला बुलंदशहर उम्र करीब 20 वर्ष
2. बॉबी पुत्र किशन सिंह निवासी धरारी पोस्ट बिचौला तहसील खुर्जा थाना धरपा बुलंदशहर उम्र 28 वर्ष
3. रविन्द्र सिंह पुत्र अज्ञात निवासी अज्ञात (वांछित अभियुक्त)

आपराधिक इतिहास अभियुक्तगण:-

अभियुक्तों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पर उपरोक्त प्रकरण में 01 अभियोग पंजीकृत किया गया है तथा अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है।

बरामदगी का विवरण:-

1. 02 मोबाइल फोन
2. 2700 रुपये नकद
3. आपत्तिजनक वस्तुएं

गिरफ्तार करने वाली टीम:-

सहायक पुलिस आयुक्त कोतवाली नगर व थाना कोतवाली नगर पुलिस टीम।

कमिश्नर गाजियाबाद पुलिस द्वारा ऑपरेशन कन्विक्शन के अन्तर्गत प्रभावी पैरवी कर अपराधी को दिलाई आजीवन कारावास व 35000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा ।

श्रीमान् पुलिस आयुक्त, गाजियाबाद के दिशा-निर्देशन में गठित 'कन्विक्शन सेल' द्वारा अपराधियों के विरुद्ध मा0 न्यायालय में विचाराधीन मुकदमों की प्रभावी पैरवी कर अधिकाधिक सजा कराये जाने हेतु प्रभावी प्रयास किये जा रहे हैं। जिसके क्रम में आज दिनांक 30.10.2026 को थाना कविनगर, कमिश्नर गाजियाबाद पर पंजीकृत मुकदमा सम्बन्धित धारा- 302/201 भादवि में अभियुक्त सुधीर पुत्र अतरपाल निवासी ग्राम सदरपुर, थाना कविनगर गाजियाबाद, को मा0 न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/ विशेष न्यायाधीश (ई0सी0एक्ट), गाजियाबाद द्वारा धारा- 302 भादवि में सश्रम आजीवन कारावास व 30 हजार रुपये का अर्थदण्ड तथा धारा- 201 भादवि में 03 वर्ष का कठोर कारावास व 05 हजार रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। विवेचक निरी0 श्री प्रताप सिंह थाना कविनगर गाजियाबाद द्वारा उक्त अभियोग की साक्ष्यों के आधार पर विवेचना की गई। 'कन्विक्शन सेल' से सतत् समन्वय बनाकर सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्री गिराज भाटी द्वारा मा0 न्यायालय में की गयी तर्कसंगत एवं सुदृढ़ पैरवी के परिणाम स्वरूप उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को मा0 न्यायालय से आजीवन कारावास के दण्ड से दण्डित कराने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है।

अभियुक्त द्वारा वादी की माताजी की हत्या करके शव को भूसे के ढेर में छिपा दिया था जिसके सम्बन्ध में थाना कविनगर पर दिनांक 11.04.2020 को उक्त अभियोग पंजीकृत कराया गया था।

		
श्री गिराज भाटी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता	मु0आ0 सतकुमार पैरोकार कन्विक्शन सेल	मु0आ0 राजीव वर्मा पैरोकार थाना कविनगर

थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान अवैध शराब के साथ 01 अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से 20 पक्के अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

दिनांक 29.10.2026 को थाना मुरादनगर पुलिस टीम द्वारा “ऑपरेशन प्रहार” के अन्तर्गत चेकिंग के दौरान मुखबिर की सूचना पर अवैध शराब के साथ अभियुक्त आयान उर्फ जुबैर पुत्र शकील निवासी सरना चौपला चौकी क्षेत्र चामुण्डा थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष को थाना मुरादनगर क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया, जिसके कब्जे से 20 पक्के अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद हुई । गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर आबकारी अधिनियम की धारा- 60/63 के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया । अग्रिम वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त ने पूछताछ करने पर बताया कि मैं हरियाणा से चोरी-छिपे देशी शराब खरीद कर लाता हूँ और अधिक मुनाफा कमाने के लिये राह चलते लोगों को अधिक पैसों में बेच देता हूँ ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

आयान उर्फ जुबैर पुत्र शकील निवासी सरना चौपला चौकी क्षेत्र चामुण्डा थाना मुरादनगर कमिश्नरेट गाजियाबाद, उम्र 19 वर्ष ।

बरामदगी का विवरण-

कब्जे से कुल 20 पक्के अवैध देशी शराब हरियाणा मार्का बरामद ।

आपराधिक इतिहास/पंजीकृत अभियोग-

अभियुक्त के विरुद्ध थाना मुरादनगर पर उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में 01 अभियोग पंजीकृत है । अन्य आपराधिक इतिहास की जानकारी की जा रही है ।

गिरफ्तार करने वाली टीम-

थाना मुरादनगर पुलिस टीम ।